फैक्स/शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–1397 पी /छः पु-3-2018-2(306)पी/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

P C

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 मई, 2018

विषयः-लाउडस्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि विस्तारक यंत्रों/वाद्य यंत्रों के प्रयोग हेतु जनसामान्य को आनलाइन आवेदन करने एवं अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-49पी/छः-पु-3-2018-2(306)पी/2017, दिनांक 04.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-24981/2017 मोती लाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 के अनुपालन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रश्नगत जनहित याचिका संख्या-24981/2017 मोती लाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 के क्रम में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 04.01.2018 में यह अपेक्षा की गयी है कि अपने जनपद में स्थित ऐसे सभी धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों, जहाँ लाउडस्पीकरों/लोक सम्बोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका चिन्हीकरण कराते हुए बिना अनुज्ञा के प्रयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रबंधकों को नोटिस दिया जाये यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए निर्धारित प्रारुप में अनुज्ञा पत्र (संलग्नक-3) जारी करते हुए संबंधित को सूचित किया जाये। लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुज्ञा प्राप्त न करने वाले धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवा लिया जाये।

3. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुज्ञा जनसामान्य को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जनसामान्य द्वारा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में (संलग्नक-1) वेब पोर्टल पर या जन सुविधा केन्द्रों पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी को आनलाइन ही अग्रसारित

ADM (E).
Meeting at 4.00 PM.
on. 24/05/18.

~~[illegible]~~ / DIO NIC.
– ADM(E)/JA
कृपया आ०का०करें / वार्ता

हो जायेगी। आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. आवेदन पत्र आनलाइन प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार कर थाने से आख्या प्राप्त करते हुये अथवा उसके बिना निर्णय लिया जायेगा। यदि उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति दी जाती है, तो डिजिटली हस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र (सलग्नक-2) आवेदक को आनलाइन प्रेषित किया जायेगा तथा इसकी सूचना थाने को भी दी जायेगी, यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो उसकी सूचना भी आवेदक व संबंधित थाने को आनलाइन दी जायेगी।

2. यदि उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित थाना प्रभारी से सत्यापन रिपोर्ट मांगे जाने की आवश्यकता महसूस की जाय तो आवेदन पत्र को सत्यापन हेतु आनलाइन संबंधित थाना प्रभारी को अग्रसारित किया जायेगा, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा आख्या को आनलाइन ही उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

3. थाना प्रभारी की आख्या प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी उसके आधार पर विचार करते हुए आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है तो डिजिटली हस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र आवेदक व संबंधित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी को आनलाइन अग्रसारित करेंगे। यदि आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसकी सूचना भी आवेदक व संबंधित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी को आनलाइन अग्रसारित की जायेगी।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत लाउडस्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु अनुज्ञा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1397 (1)पी /छः-पु-3-2018- 2(306) पी/2017, दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक प्रकाश)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

सेवा में,

जिलाधिकारी

....

विषयः-ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम-5 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउड स्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण या वाद्य उपकरण के प्रयोग हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम -
2. स्थायी पता-
3. मोबाइल न0 एवं ई-मेल आई0डी0-
4. अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयोजन- लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण/अन्य .... (कृपया प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण/यंत्र की संख्या भी दर्शाये)
5. लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण/अन्य प्रयोग किये जाने का विवरण-..

(क) कार्यक्रम का प्रयोजन- धार्मिक पर्व/ सांस्कृतिक कार्यक्रम/ वैवाहिक कार्यक्रम/ अन्य. ....

(ख) स्थल-.......................................

(ग) स्थल की प्रकृति-आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्य/शान्त क्षेत्र

(घ) अवधि - दिनांक ....से दिनांक .... तक

(च) समयावधि - ....बजे से.................................तक

(छ) प्रयुक्त स्थल की प्रकृति- स्थल खुला/हॉल के भीतर बन्द परिसर जैसे प्रेक्षागृह/सम्मेलन कक्ष/सामुदायिक हॉल/प्रीतिभोज हॉल/अन्य...

(ज) ध्वनि विस्तारक यंत्र को खरीदे जाने वाली अथवा किराये पर लिये जाने वाली दुकान/प्रतिष्ठान का विवरणः-

ध्वनि विस्तारक यंत्र खरीदे जाने /किराये पर लिये जाने वाली दुकान/दुकानदार का नाम...................................

दुकानदार का फोन नंबर . ...

उक्त दुकान का पता...... ....

घोषणा

मै श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री.................................... निवासी .... घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा स्थल.... ... ...पर दिनांक ....से दिनांक ....तक समयावधि................बजे से ....तक आयोजित धार्मिक पर्व/सांस्कृतिक कार्यक्रम/वैवाहिक कार्यक्रम/अन्य................मे लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली/ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण/अन्य का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जाएगा एवं उल्लंघन की दशा मे स्वयं की मेरी उत्तरदायिता होगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

संलग्नक–2

सेवा में

श्री / श्रीमती / सुश्री..

पुत्र / पुत्री / पत्नी..

निवासी..

विषय:–ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–5 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउड स्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण या वाद्य उपकरण के प्रयोग हेतु अनुज्ञा–पत्र।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र सं0–..............................दिनांक ....का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपको ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–5 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउड स्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण या वाद्य उपकरण के प्रयोग हेतु निम्न विवरण के अनुरूप एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुज्ञा–पत्र जारी किया जाता है–

1. **अनुज्ञा / अनुमति का विवरण–**

(क) कार्यक्रम का उद्देश्य– धार्मिक पर्व / सांस्कृतिक कार्यक्रम / वैवाहिक कार्यक्रम / अन्य..............

(ख) स्थल का पता–

(ग) प्रयुक्त किये जाने वाले लाउड स्पीकर / लोक सम्बोधन प्रणाली / संगीत यन्त्र डी0जे0 आदि / अन्य जिस हेतु अनुज्ञा प्रदान की जा रही है का विवरण एवं संख्या–

(घ) अवधि – दिनांक ....से दिनांक ....तक

(च) प्रयोग का समय– ....बजे से ....तक

(छ) स्थल की विवरण– खुला क्षेत्र / बन्द कमरे के अन्दर जैसे प्रेक्षागृह या सम्मेलन कक्ष या सामुदायिक हॉल या प्रीतिभोज हॉल व अन्य..............................

उपरोक्त अनुज्ञा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी–

(क) शांत क्षेत्र में किसी प्रकार के संगीत / ढोल / हार्न / लाउड स्पीकर / लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग प्रतिबन्धित है।

(ख) सार्वजनिक स्थान जहां लाउड स्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य श्रोत डी0जे0 आदि उपयोग में लाया जा रहा है, में ध्वनि स्तर, क्षेत्र के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर से 10 d(B)A अधिक या अधिकतम 75 d(B)A जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

(ग) लाउड स्पीकर या लोक सम्बोधन प्रणाली या कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण जैसे डी0जे0 आदि का प्रयोग रात्रि में बन्द कमरे के अन्दर ही किया जाना अनुमन्य होगा।

(ग) किसी निजी स्वामित्व के परिसर में ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि उत्पन्न ध्वनि का स्तर ध्वनि मानक के स्तर से 5 d(B)A से अधिक नहीं होगा।

(ग) ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणता मानक ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(1) और 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुरूप लागू होंगे।

दिन का समय – 6:00 बजे पूर्वान्ह से 10:00 बजे अपरान्ह।

रात्रि का समय –10:00 बजे अपरान्ह से 6:00 बजे पूर्वान्ह।

(घ) उपरोक्त अनुज्ञा की शर्तों एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसमें दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास एवं रू 01 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने की व्यवस्था है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

...यंत्रों/अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों के प्रयोग हेतु
जनसामान्य को अनुज्ञा प्रदान किये जाने के संबंध में गाइड लाइन्स

(1) उप जिलाधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एवं जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को प्रत्येक कार्यदिवस में देखेंगे कि कोई अनुज्ञा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लम्बित तो नहीं है।

(2) उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक को उसकी आवश्यकतानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की तिथि व समय से पूर्व अनुज्ञा पत्र उपलब्ध हो ताकि आवेदक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(3) उप जिलाधिकारी लम्बित आवेदन पत्र एवं उसके विवरण का परीक्षण कर यह निर्धारित करेंगे कि आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं अथवा किसी और सूचना की आवश्यकता है।

(4) यदि उप जिलाधिकारी द्वारा किसी आवेदन को निरस्त किया जाता है तो उनके द्वारा निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख करते हुए आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त आदेश आनलाइन ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यदि लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के स्थान संबंधी सूचना डाटाबेस में अनुपलब्ध या अपूर्ण हो तो ऐसी स्थिति में उप जिलाधिकारी आवेदक के क्षेत्र के संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन का सत्यापन कराकर अग्रतर कार्यवाही करेंगे।

(6) उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन विवरण से संतुष्ट होने के उपरान्त अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अनुज्ञा निर्गत करेंगे।

(7) आवेदक द्वारा किसी भी जन सुविधा केन्द्र, तहसील सेन्टर अथवा जनपदीय सेन्टर पर जाकर अपने आवेदन पत्र का नम्बर व आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34आई.टी./2010, दिनांक 04.02. 2016 के प्राविधानानुसार निर्धारित शुल्क देकर अनुज्ञा पत्र की प्रिन्टेड सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

(8) अधिकृत आपरेटर/जन सुविधा केन्द्र सेन्टर आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लागइन कर आवेदन पत्र का नम्बर टाइप कर डिजिटली हस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र देखा जायेगा।

(9) अधिकृत आपरेटर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रमाण पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा ही डिजिटली हस्ताक्षरित किया गया है तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञा पत्र पर जाली डिजिटल हस्ताक्षर तो नहीं किया गया है।

(10) अधिकृत आपरेटर द्वारा यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर आवेदक को दिया जायेगा।

(11) अनुज्ञा पत्र के प्रिन्ट आउट पर लागइन कर रहे अधिकृत आपरेटर द्वारा अपने यूजर आईडी, मुहर एवं हस्ताक्षर अंकित किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner